पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन न0–02/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0: ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/02/23 दिनांक: 31.01.2023

विषयः ब्लॉक खंड में कोई भी इंजीनियरिंग कार्य यथा स्लीपर बदलना अथवा अन्य कार्य करते समय बरती जानेवाली सावधानियॉं ।

1. संक्षिप्त परिचय

दिनांक 23.01.2023 को समस्तीपुर मंडल में तारसराय एवं सकरी स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 14/01 पर गाड़ी संख्या 05535 के लोको पायलट ने अचानक इंजन से कुछ टकराने की आवाज सुनी एवं आपातकालीन ब्रेक लगाते हुए अपने गाड़ी को तुरंत रोक दिया । नीचे उतरकर जॉच के दौरान लोको पायलट ने पाया कि रेल डॉली एवं रेल मरम्मत के कुछ सामान ट्रैक के बगल में पड़े हुए थे और कुछ लोग वहॉं खड़े थे । पूछताछ करने पर यह पता चला कि स्लीपर बदलने का कार्य किया जाना था परंतु इसकी सूचना संबंधित खंड के स्टेशन मास्टर को नहीं दी गयी थी और न ही कार्य स्थल पर किसी प्रकार का बचाव का इंतजाम किया गया था । घना कुहासा होने के कारण दृश्यता काफी कम (लगभग 50 मीटर) थी । घने कुहासे की स्थिति में ही संवेदक (कॉंट्रैक्टर) के लेबर काम कर रहे थे एवं रेल पथ के लिए उपयोग में आनेवाली सामग्री एवं रेल डॉली रेल ट्रैक के बहुत करीब में पड़ा हुआ था ।

2. प्रकियागत विफलता

इस प्रकार की असामान्य घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि कोई भी कार्य रेल पथ या निर्माण कार्य इत्यादि करने के पहले संबंधित सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के सामान्य नियम 15.07, 15.08 एवं 15.09 में वर्णित नियमों एवं भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 841 के सब पारा 3 में वर्णित नियम जो रेल डॉली के उपयोग से संबंधित है, का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया ।

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जाने वाली सावधानियॉं:–

भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक एवं भारतीय रेल पथ नियमावली के निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमों का सर्वसंबंधित द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए पुनः उद्यृत किया जा रहा है–

- **सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के सामान्य नियम 15.07 में धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है –** "धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, आपातकालीन मामलों के सिवाय, कोई रेल अपनी जगह से हटाई नहीं जाएगी और न ही ऐसा कोई दूसरा काम किया जाएगा, जिससे गाड़ियों के आने–जाने में अवरोध पड़ने की संभावना है" ।

- **सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के सामान्य नियम 15.08 के पारा 1, 2 एवं 3 में लाइन में अवरोध डालने वाले काम प्रारंभ करने से पहले सावधानी के बारे में निम्न वर्णन किया गया हैः–**

"रेल–पथ या निर्माण–कार्य पर लगाया गया कोई भी व्यक्ति तब तक न कोई रेल बदलेगा, न उलटाएगा, न कॉटों या सिगनलों का वियोजन (डिसकनेक्ट) करेगा और न ही लाइन को अवरूद्ध करने वाला कोई अन्य काम आरंभ करेगा जब तक कि रोक (स्टॉप) सिगनल प्रदर्शित नहीं कर दिए जाते और जहॉ निर्धारित किया गया है, वहॉ पटाखों का प्रयोग नहीं कर दिया जाता, तथा स्टेशन सीमा के अंदर होने पर, जब तक कि उसने स्टेशन मास्टर की भी लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर ली है और सब आवश्यक सिगनल 'ऑन'नही कर दिए गए हैं" ।

- **सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के सामान्य नियम 15.09 के उपनियम 1 के क, ख, ग एवं घ में ऐसे कार्य किये जाने के समय सिगनल दिखाने से संबंधित प्रावधान का विस्तृत उल्लेख किया गया है–**
"जब कभी लाइनों की मरम्मत के कारण या किसी अन्य अवरोध के कारण लोको पायलट को यह बताना आवश्यक है कि उसे रूकना है, या प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ना है तो उसे आवश्यक सिगनल दिया जाएगा और जहॉ निर्धारित किया गया है, पटाखों का प्रयोग किया जाएगा; दोहरी लाइन होने से यह सिगनल उस दिशा में जिस ओर से गाड़ी आती है एवं इकहरी लाइन होने पर दोनों ओर दिए जाएगे"।

- **भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 841 के सब पारा 3** में रेल डॉली के चालन से संबंधित यह उल्लेख है कि रेल डॉली तभी चलाया जाएगा जब दृश्यता कम से कम 1200 मीटर तक स्पष्ट हो तथा गाड़ियों की संरक्षा एवं कर्मियों की सुरक्षा को प्रभावित किये बिना रेलों/स्लीपरों को गिराया जा सकता हो ।

ब्लॉक खंड में कोई भी इंजीनियरिंग कार्य यथा स्लीपर बदलना अथवा अन्य कार्य करते समय बरती जानेवाली सावधानियों/नियमों का विस्तृत विवरण सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के अध्याय 15 एवं रेल पथ नियमावली के पारा 841 में वर्णित हैं और महत्वपूर्ण प्रावधानों को यथा उपर उल्लेखित किया गया है, इन्हें सर्वसंबंधित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के संबंधित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ।

Bhagat
31.01.2023
(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0एवंदू0 सं0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ ।
3. मु0 या0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0, मु0 वि0 वि0 इंजी0, मु0 वि0लो0 इंजी0
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसंअ0, वमपरिप्र0, वमंविई0(टीआडी), वमंविई0(परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0(सम0)/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।